



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245673
CG-DL-E-04052023-245673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1965]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1965]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2053(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1659 (अ), तारीख 06 अप्रैल, 2023 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में संख्या 154 के कि.मी. 96.000 से कि.मी. 100.840 (थे थे कम्पीटेंट अथॉरिटी ऑफ़ लैंड एक्वीजीशन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12, अप्रैल, 2023 को "दी टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में संख्या 154 के कि.मी. 96.00 से कि.मी.100.84 (थे कम्पीटेंट अथॉरिटी ऑफ़ लैंड एक्वीजीशन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: काँगड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पालमपुर				
	गांव का नाम: परौर				
1	1101/1	सरकारी(केन्द्रीय सरकार (रेलवे))	गैर कृषि	0.0253	केन्द्रीय सरकार (रेलवे) (1101/1)
2	1102/1	सरकारी(केन्द्रीय सरकार (रेलवे))	गैर कृषि	0.0279	केन्द्रीय सरकार (रेलवे) (1102/1)
3	1107/2/1	सरकारी(केन्द्रीय सरकार (रेलवे))	गैर कृषि	0.2448	केन्द्रीय सरकार (रेलवे) (1107/2/1)
4	1108/4/1	सरकारी(सरकार हिमाचल प्रदेश)	गैर कृषि	0.0901	सरकार हिमाचल प्रदेश (1108/4/1)
5	1110/7/1	सरकारी(सरकार हिमाचल प्रदेश)	गैर कृषि	0.4191	हिमाचल प्रदेश सरकार (1110/7/1)
6	2877/1118/1	सरकारी(सरकार हिमाचल प्रदेश)	गैर कृषि	0.2184	हिमाचल प्रदेश सरकार (2877/1118/1)
7	2877/1118/2	सरकारी(सरकार हिमाचल प्रदेश)	गैर कृषि	0.0383	हिमाचल प्रदेश सरकार (2877/1118/2)
			कुल	1.0639	

[फा. सं. : 11011/27/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2053(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O 1659 (E) dated 06 April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH154 on the stretch of land from Km 96.000 to Km 100.840 (The Competent Authority of Land Acquisition Palampur) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “*Dainik Bhaskar*” both dated 12 April, 2023 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH154 in the stretch of land from Km 96.00 to Km 100.840 (The Competent Authority of Land Acquisition Palampur) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: KANGRA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Palampur				
	Village: Parour				
1	1101/1	Government(Center government (Railway))	Non Agriculture	0.0253	Center Government (Railway) 1101/1
2	1102/1	Government(Center Government (Railway))	Non Agriculture	0.0279	Center Government (Railway) 1102/1
3	1107/2/1	Government(Center Government (Railway))	Non Agriculture	0.2448	Center Government (Railway) 1107/2/1
4	1108/4/1	Government(Government Himachal Pradesh)	Non Agriculture	0.0901	Government Himachal Pradesh 1108/4/1
5	1110/7/1	Government(Government Himachal Pradesh)	Non Agriculture	0.4191	Government Himachal Pradesh 1110/7/1
6	2877/1118/1	Government(Government Himachal Pradesh)	Non Agriculture	0.2184	Government Himachal Pradesh 2877/1118/1

7	2877/1118/2	Government(Government Himachal Pradesh)	Non Agriculture	0.0383	Government Himachal Pardesh 2877/1118/2
			TOTAL	1.0639	

[F. No. : 11011/27/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.